

अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज
आर0एम0आर0 वाद संख्या:- 73/2011-12
कन्हैया लाल मंडल-बनाम-कैलू कुमार मुर्मू वगैरह

देश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
9.07.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अपीलार्थी-श्री कन्हैया लाल मंडल, पिता-रघुनाथ महलदार, साकिन-बांझी, थाना-बोरियो, जिला-साहेबगंज ने आवेदन प्रस्तुत कर सूचित किया है कि मौजा-बांझी संथाली, जमाबंदी नं0-73, दाग नं0-422, रकवा-04 कटठा जमीन से अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के आर0ई0 केस सं0-17/2003-04, दिनांक-11.09.2007 द्वारा उच्छेद कर दिया गया है जिसके विरुद्ध अपील दायर किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु अपीलार्थी एवं विपक्षी स्वयं या विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद से संबंधित कोई भी लिखित बहस या दलील प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूँकि बिगत कई वर्षों से उक्त वाद में उभय पक्ष अनुपस्थित रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अतएव बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। [Signature] 9/7/23 अपर उपायुक्त, साहेबगंज।	

[Signature] 9/7/23
अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।